झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

संख्या :परि0वि0–145/2007(खण्ड) 347 /राँची, दिनांक– 19-02-16

।। अधिसूचना ।।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करते हुए झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2015 का प्रारूप झारखण्ड गजट संख्या– 22 दिनांक– 13 जनवरी 2016 द्वारा प्रकाशित की गई है।अधिसूचना प्रारूप पर प्रकाशन अवधि मे प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति/सुझाव की माँग की गई थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित संशोधन को झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से लागू किया जाता है।

झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2015

1. यह "झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2015" कही जाएगी।
2. यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
3. झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 127 के उप नियम (1) के पश्चात् उप नियम (1)(क) तथा (1)(ख) को निम्न रूप से अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है :–

(i) **नियम 127 का उपनियम (1) (क)** :– नगरपालिका एवं नगर निगम से बाह्य क्षेत्र में परिचालन हेतु अनुज्ञात ऑटो रिक्शा का रंग उपनियम (1) के अनुरूप होगा।

(ii) **नियम 127 का उपनियम (1) (ख)** :– नगरपालिका एवं नगर निगम शहरी क्षेत्रान्तर्गत परिचालन हेतु अनुज्ञात ऑटो रिक्शा का रंग **"हरा"** होगा।

परन्तु यह भी कि महिला के नाम निबंधित तथा महिला द्वारा परिचालित ऑटो रिक्शा का रंग **"गुलाबी"** होगा तथा सामने के शीशा (Wind Screen) के उपरी भाग पर 10 से.मी. की काली पट्टी पर गुलाबी रंग से **"महिला चालित ऑटो रिक्शा"** लिखा होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

ह0/- 19/02/16

(रतन कुमार)

सचिव

परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– *परि0वि0–145/2007 (पार्ट)*–347 */राँची, दिनांक*–19-02-16

प्रतिलिपि : ई–गजट नोडल पदाधिकारी, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रतन कुमार)
सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– *परि0वि0–145/2007 (पार्ट)*–347 */राँची, दिनांक*–19-02-16

प्रतिलिपि : राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड/सदस्य राजस्व पर्षद, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/सभी आरक्षी अधीक्षक/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/सभी यातायात पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड/राज्य सूचना पदाधिकारी, एन.आई.सी., झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रतन कुमार)
सचिव,
परिवहन विभाग।